सत्यमेव जयते

| राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

आषाढ़ 29, सोमवार, शाके 1937–जुलाई 20, 2015
*Asadha 29, Monday, Saka 1937–July 20, 2015*

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 20, 2015**

**जी.एस.आर. 54**:– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. अनुसूची का संशोधन.**– राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 से संलग्न अनुसूची में,–

(i) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड–I" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड–I" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड–I" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान